रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231347
CG-DL-E-25112021-231347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4475] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्रहायण 3, 1943
No. 4475] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.आ. 4842(अ).—जबकि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) (जिसे इसके आगे अधिनियम कहा जाएगा) अधिनियम की धारा 1(2) के संबंध में, दिनांक 25 मई, 2021 को लागू किया गया था।

और जबकि अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से छह माह के भीतर, अधिसूचना द्वारा एक राज्य परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति परिषद कहा जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत यथानिर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

और जबकि भारत में कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण, राज्य सरकारों द्वारा राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति परिषदें निर्धारित अवधि के भीतर गठित नहीं की जा सकीं और उसके कारण अधिनियम की धारा 22 के उक्त उपबंधों के अनुपालन में कठिनाईयां आईं।

और जबकि अधिनियम की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त कठिनाईयां को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

1. इस आदेश को **राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग द्वितीय (कठिनाइयों का समापन) आदेश, 2021** कहा जाएगा।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख वृत्ति अधिनियम, 2021 के प्रवर्तन की तारीख से यथा शीघ्र परंतु एक वर्ष के भीतर राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति परिषदों का गठन करेंगे।

[फा. सं. जेड-28016/03/2021-एएचएस]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.O. 4842(E).— Whereas the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021) (hereinafter referred to as the Act) came into force on 25th May, 2021, in terms of Section 1(2) of the Act.

AND WHEREAS sub-section (1) of section 22 provides that every State Government shall, by notification, within six months from the date of commencement of this Act, constitute a State Council to be called the State Allied and Healthcare Council for exercising such powers and discharging such duties as may be laid down under this Act.

AND WHEREAS due to the second wave of the Covid pandemic in India, State Allied and Healthcare Councils could not be constituted by State Governments within stipulated period and because of that difficulties have arisen in compliance with the said provisions of section 22 of the Act.

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 69 of the Act, the Central Government hereby makes the following Order, to remove the above said difficulties, namely:

1. Short title and commencement:

(1) This Order may be called **the National Commission for Allied and Healthcare Professions 2nd (Removal of Difficulties) Order, 2021.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. It is hereby clarified that All the State Governments/Union Territories shall, as soon as may be but within one year from the date of commencement of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, constitute State Allied and Healthcare Councils.

[F. No. Z-28016/03/2021-AHS]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.25 13:42:32 +05'30'